महत्वपूर्ण

संख्या–3905/नौ–1–12–8 ई/95

प्रेषक,

प्रवीर कुमार
प्रमुख सचिव
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त**
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त जिलाधिकारी**
   उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त नगर आयुक्त**
   नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 10 अक्टूबर, 2012

विषय– स्थानीय नागर निकायों में निर्वाचित महिला पदाधिकारियों के पति अथवा संबधियों का निकाय के प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप के संबध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उक्त के संबध में शासन के संज्ञान में यह आया है कि कतिपय स्थानीय नागर निकायों में निर्वाचित महिला पदाधिकारियों के साथ उनके पति अथवा संबधियों द्वारा अथवा उनके स्थान पर उनके पति अथवा संबधियों द्वारा नागर निकाय प्रशासन में हस्तक्षेप किया जा रहा है। इस संबध में स्पष्ट करना है कि **उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 तथा उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 के प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि महापौर या अध्यक्ष या सभासद या सदस्य से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो निर्वाचकों द्वारा निर्वाचित किया गया हो, अर्थात् ऐसे व्यक्ति से भिन्न कोई भी व्यक्ति नगरपालिका प्रशासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने या बैठकों में सम्मिलित होने में समर्थ नहीं है। निर्वाचित महिला पदाधिकारियों द्वारा नागर निकायों के प्रशासनिक कार्यों अथवा बैठकों में अपने साथ अथवा अपने स्थान पर संबधियों द्वारा हस्तक्षेप करने की प्रकिया अधिनियम के प्राविधानों के विपरीत है।**

2. उक्त के क्रम में शासनादेश सं0 583/9.1.96–8ई/95 दिनांक 15 फरवरी, 1996 शासनादेश सं0 3965/9.1.96–8ई/95 दिनांक 28 जून, 1996 तथा शासनादेश सं0 3859/9.1.10–8ई/95, दिनांक 23.12.2010 द्वारा यह निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों की बैठकों में यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि "निर्वाचित अथवा पदेन पदाधिकारियों से भिन्न कोई भी व्यक्ति बैठक में सम्मिलित न होने पाये और न ही उसके द्वारा अपने किसी मत की अभिव्यक्ति बैठक में की जाये।" उपर्युक्त के अलावा, उक्त शासनादेशों द्वारा यह भी निर्देश जारी किये गये हैं कि " महिला पदाधिकारियों के किसी भी संबधी को यथास्थिति नगर निगम, नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत के अभिलेखों के अवलोकन की अनुमति प्रदान न की जाये जब तक उनके द्वारा विधिवत् निरीक्षण हेतु आवेदन न किया गया हो और यथास्थिति नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी द्वारा ऐसे निरीक्षण की लिखित अनुमति प्रदान न कर दी गयी हो ।"

3. **नागर निकायों का सामान्य निर्वाचन, 2012 सम्पन्न हो चुका है और नागर निकायें विधिवत् गठित हो चुकी हैं। निकाय के निर्वाचित अथवा पदेन पदाधिकारियों का दायित्व है कि उनके द्वारा**

अधिनियम द्वारा स्थापित विधि व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। अतः इस संबध में पूर्व निर्गत दिशा–निर्देशों के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निकायों द्वारा गुणवत्तापरक कार्य करने, निकाय हित में नियमानुसार नीतिगत निर्णय लेने और संगत अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निकाय के प्रशासनिक कार्यों यथा बैठकों आदि में निर्वाचित/पदेन महिला पदाधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का स्वतंत्र रूप से स्वयं निर्वहन किया जाये और अपने स्थान पर अथवा अपने साथ संबधियों या अन्य व्यक्तियों को निकाय के कार्यों में सम्मिलित न किया जाये।

4. यही व्यवस्था समान रूप से पुरूष पदाधिकारियों पर भी लागू होगी व उनके साथ अथवा उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को निकाय के प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप न करने दिया जाये।

5. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, समस्त संबधित को अवगत कराने का कष्ट करें। उक्त निर्देशों के कम में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य आपके संज्ञान में आता है तो सत्यापित तथ्यों के आधार पर शासन को स्थिति से अवगत कराने का कष्ट करें ताकि उत्तरदायी के विरूद्व नियमों के परिप्रेक्ष्य में तत्काल यथाप्रकिया प्रभावी अनुशासनिक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव –

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. **आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0** (पंचायत एवं नगरीय निकाय), 32–स्टेशन रोड़ पी0सी0एफ0 भवन, लखनऊ।
2. **सचिव, मा0 लोकायुक्त**, कार्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. **निदेशक,** स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. **समस्त महापौर, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।**
5. समस्त अध्यक्ष, नगरपालिका परिषदें/नगर पंचायतें उत्तर प्रदेश **(द्वारा जिलाधिकारी)**
6. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषदें/नगर पंचायतें उत्तर प्रदेश **(द्वारा जिलाधिकारी)**
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग ।
8. निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, नगर विकास विभाग।
9. समस्त अनुभाग अधिकारी, नगर विकास विभाग/सूडा।
10. **वेब मास्टर ,नगर विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे तथा उक्त शासनादेश दि0 23.12.2010 एवं 15.02.1996 तथा 28.06.1996 को बेबसाईट पर लोड कराने का कष्ट करें।**
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।